न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 59/2025

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

मनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

.... वादी

ब ना म

(1). जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह
(2). सुखराज कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह
(3). किरणदीप पुत्री श्री जगदेव सिंह
} जाति जटसिख निवासीयान चक 8 क्यू ग्राम पंचायत व पोस्ट संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज0)।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी — वादी
अधिवक्ता श्री शुभम पारिक — प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज — (प्रति.4)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 40/37 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 78/79 के मुरब्बा नम्बर 8, 11, 24, 47 की कुल 5.541 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 205/1847 यानि 0.615 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 78/79 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी गुरचरण सिंह पुत्र मंगल सिंह से प्राप्त हुई होने के कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि विरासतन जायदाद है [illegible] हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक स[illegible] परिवार में निवास करते है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने पारस्परिक [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–207[illegible] जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 3[illegible], 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या [illegible] जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुआ तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 जगदेव सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 01/03/2025 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन व प्रतिवादी सं. 2 वादी की माताजी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी सं. 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावेः–

(क). कि चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी **शीर्षक** दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक **अदालत की** भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव **नहीं** रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत सं[illegible] को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 8 क्यू पटवार हल्का स[illegible] व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 207[illegible] संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 [illegible] बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र [illegible] सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि वा[illegible]नदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:52 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने सावते होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी ने पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। अतः चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे तो हम सहमत है तथा हमें कोई आपति नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा/सहमति होने से वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये इस आशय का पेश किया गया कि उक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि की बाबत भारत वर्ष के किसी भी अन्य न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश भी जारी नहीं किया हुआ है। मेरे द्वारा वाद पत्र में मेरे पिताजी के समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित किया हुआ है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 40/37, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 78/79, जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 37 नामान्तरण संख्या 379 दिनाक 25.10.20211, जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 79/31 नामान्तरण संख्या 380 दिनाक 25.10.20211 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.1998 अनवान राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह पुत्र मोडसिंह धारा 88 आर.टी.ए. की प्रति पेश की गई।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी [illegible] पेज 312 आरटीए [illegible] 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी [illegible] 219 [illegible] 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया [illegible]

उल्लेखनीय है कि राजस्थान का[illegible] 55 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर [illegible] की किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/37 के मुरब्बा नम्बर 13, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 36 की कुल 18.764 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जगदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम 551/4691 यानि 2.204 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.012 है. कृषि भूमि का वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर यदि ऋृण भार हो तो भूमि पर ऋण की स्थिति शून्य होने पर उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner